



**اسلامک مدرسہ جدید کاری اساتذہ ایسووسی ایشن آف انڈیا  
ISLAMIC MADARSA MODERNIZATION TEACHERS ASSOCIATION OF INDIA(REGD.)  
islamic madrasa modernization teachers association of india (regd.)**

प्रधान कार्यालय - रिसिया, बहराइच (उ.प्र.) Website: [www.imass.org.in](http://www.imass.org.in)

सेवात्रयी, दिल्ली अप्रैल २०११ | १९३

दिनांक । ० | ० | ९ | । ।

मानवीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय-गाजीपुर ३०प्र० के जिलाल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं वहां के वक्फ लिपिक मु० अमजद के द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना में काम करने वाले मदरसा शिक्षक को आत्म हत्या के लिए विवश करने पर इन को सस्पेंड कर इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय।

भारत सरकार की मदरसों के लिए वरदान साबित होने वाली मदरसा आधुनिकीकरण योजना SPQEM में काम करने वाले गाजीपुर जिले के मदरसा शिक्षक इकरामुल हक अंसारी जो कि मदरसा फैजानुलउल्म, बहादुरगंज, थाना कासमाबाद में कार्यरत थे और मोहल्ला चौकद्वार बहादुरगंज जिला-गाजीपुर उ0प्र0के रहने वाले थे उनको करीब तीन सालों से वेतन नहीं मिला था। गाजीपुर जिले के मदरसा शिक्षकों ने बताया कि इस बार जब तीन सालों के बाद उक्त मदरसा शिक्षक का छः माह का वेतन आया तो गाजीपुर के जिलाअल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और वहाँ कार्यालय के वक्फ लिपिक मु0 अमजद ने उस शिक्षक से उसकी आधी तनख्वाह रिश्वत में मांगी और कहा कि जब तक वह रिश्वत नहीं देता तब तक उस को तनख्वाह नहीं दी जायेगी। मदरसा शिक्षक पहले ही तीन सालों से तंगहाली का शिकार था। वह इस मांग को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं था इसलिए थक हारकर उसने आत्म हत्या कर ली। गाजीपुर के मदरसा शिक्षकों का कहना है कि वहाँ के मदरसा शिक्षक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय के भ्रष्टचार से बहुत त्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस के लिए कम दोषी नहीं है क्योंकि दो सालों से भी ज्यादा समय के बाद उ0प्र0 के मदरसों को 2009-10 सत्र का मात्र छः माह का वेतन दिया है जबकि अभी भी इन मदरसा शिक्षकों का दो सालों का वेतन बाकी है और इसके अलावा अभी भी 1228,440,223 करीब 1891 मदरसों के प्रस्ताव 2009 से लम्बित हैं जिनकी तनख्वाहें रिलीज नहीं किया गया है और मदरसा शिक्षक भुखमरी के दौर से गजर रहे हैं तथा उ0प्र0 सरकार ने भी आजतक इस योजना में कोई अंशदान नहीं किया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि गाजीपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व वक्फ लिपिक मु० अमजद को तत्काल सर्पेंड करके मामले की जांच कराह जाय ताकि यह अपने प्रभाव का प्रयोग कर जांच में बाधा न डाल सकें। जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर इन को कड़ी सजा दी जाय। महोदय से अनुरोध है कि शिक्षक के आश्रितों को कम से कम पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाय व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाय।

अति महान कृपा होगी।



इस्लामिक मदरसा आध्रीमिक अनुवादक संघ आफ इंडिया

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट  
सेवा में, २५ जूलाय २०११/१५

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय,  
भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली, ११०००९।

---

प्रेषक,

एजाज अहमद

राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ आफ इंडिया,  
कार्यालय रिसिया, जिला बहराइच, उ०प्र०,  
पिन- २७१८७५